कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना संख्या – 05/ई0ई0/2017–18

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन लाइन फाइनेन्सियल बिड, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनॉक 21.07.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा फाइनेन्सियल बिड दिनॉक 22.07.2017 को अपरान्ह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी एवं निविदा समिति द्वारा ऑन लाइन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी।

–: कार्य का विवरण :–

क्रम	कार्य का विवरण	लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (Including 18% GST)	श्रेणी
1	2	3	5	6	7	8
1.	Repairing of spur no. **02** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.62	1900.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
2.	Repairing of spur no. **03** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.48	1500.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
3.	Repairing of spur no. **04** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.72	1700.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
4.	Repairing of spur no. **05** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.80	2000.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
5.	Repairing of spur no. **06** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.64	1700.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
6.	Repairing of spur no. **07** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.80	1800.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
7.	Repairing of spur no. **08** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.72	1700.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
8.	Repairing of spur no. **09** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.83	1800.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
9.	Repairing of spur no. **10** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.83	1800.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
10.	Repairing of spur no. **11** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.80	1800.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
11.	Repairing of spur no. **12** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.62	1600.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
12.	Repairing of spur no. **13** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.74	1300.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
13.	Repairing of spur no. **14** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.55	1600.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी
14.	Repairing of spur no. **15** at right bank of Garra river in village Babarpur at District Hardoi	1.33	1800.00	15 दिवस	590.00	डी एवं उच्च श्रेणी

नियम एवं शर्तें

1- यह ई–निविदा/बिड सूचना उ0प्र0सरकार की वेबसाईट http://etender.up.nic.in तथा सिंचाई विभाग की बेवसाईट http://irrigation.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2- यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्वघोषणा शपथ पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति बेवसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वेबसाईट पर ड्राईंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेगें।

3- फाइनेन्शियल बिडिंग का परिणाम ऑनलाइन होगा।

4- निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

5- निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड,लखनऊ में ई–टेण्डरिंग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

6- निविदादाता को टेण्डर सेल धनराशि जी.एस.टी. सहित अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई के नाम डिमांड ड्राफ्ट तथा IDT-1, IDT-2, IDT-3 निर्धारित श्रेणी का प्रमाण पत्र के मूल प्रमाण पत्र कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई के कार्यालय में दिनांक 29.07.2017 को सायं 5.00 बजे तक जमा करने होगें अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त प्रमाण पत्रों एवं अन्य सूचनाओं की स्कैन्ड कापी भी बिड के साथ ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

7- प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का गैर वापसी शुल्क (जैसा कि उक्त कॉलम 07 में दर्शाया गया है) जो कि डिमॉन्ड ड्राफ्ट के रुप में "अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई" को देय होगा। जिसकी स्कैन्ड कापी आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं **दिनांक 21.07.2017 को सायं 3.00 बजे तक मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा,** अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

8- धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई के नाम/पक्ष में बंधक हरदोई में देय होना अनिवार्य है। जिसकी स्कैन्ड कापी आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं **दिनांक 21.07.2017 को सायं 3.00 बजे तक मूल प्रति/एफ0डी0आर0 उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।**

9- प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial bid/Price bid) के साथ रू0 100.00 के जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा कि दरे 90 दिवस तक मान्य होगी। इसके पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। ठेकेदार को नियमानुसार देय जी.एस.टी., आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी, लेबर वेलफेयर सेस देनी होगी। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपाजिट भी जमा करना होगा।

10- कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

11- निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

12- निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रकिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13- इस निविदा को पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

14- कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

15- राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगें। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबंध/पट्टे को सक्षम अधिकारी व्दारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

16- यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबंध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

17- यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता व्दारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

18- विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दी जायेगीं।

क्रमशः........3 पर

19- चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र व रजिस्ट्रेशन के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

20- प्राप्त निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरे तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।

21- शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2–आडिट/08टी0सी0/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यो की दर विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक कम दर डालने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर डालने पर एक प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सेक्योरटी अनुबन्ध गठन के पूर्व देनी होगी। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

22- टी0ए0सी0/आडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों व्दारा निर्धारित वसूली सम्बंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन की जायेगी।

23- शासनादेश संख्या 2136(1)/15–27–सिं–9,दिनांक 17.08.2015 के अनुसार ठेकेदार को अनुबन्ध गठन से पूर्व इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा। घोषणा पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।

24- ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी, जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवानिवृत्ति के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेगें तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

25- निविदा स्वीकार होने के उपरांत निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र अनुबन्ध गठित होने से पहले प्रस्तुत करना होगा।

26- निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

27- प्रत्येक निविदादाता को निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को बिड के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा उसकी मूल प्रतियां **दिनांक 21.07.2017 को सायं 3.00 बजे तक** कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई में जमा करना अनिवार्य होगा।

(क) वैध पंजीयन की प्रति।

(ख) टिन तथा पैन कार्ड की प्रति।

Additional Condition to be made part of the General Conditions of Contract:

28- If any person whosoever is found actively associated with Mafia & Unsocial elements or engaged in organized crime or is a Mafia Mafioso is disqualifies from bidding.

29- Even if it comes to knowledge after award of a contract that the contractor is associated with Mafia and unsocial elements or engaged in organized crime or is a Mafia of Mafioso, The contract will be cancelled after serving a show cause notice & if the contractor is found repeating the same, them the proceeding of black listing him shall also be initiated.

अधिशासी अभियन्ता
हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई